कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 06 दिनांकः– 02.1.17

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 02 JAN 2017 झारखण्ड, राँची

सेवा में,
प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत अमानत बराज से कैनाल निर्माण हेतु 127.85 हे0 वन भूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग :– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/JH/IRRIG/15780/2015/935 दिनांक 14.12.16

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा भारत सरकार ने दो बिन्दुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई है। उक्त के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर के पत्रांक 4188 दिनांक 29.12.2016 (छायाप्रति अनुलग्नक सहित संलग्न) द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित किया गया है। जो निम्नवत् है :–

1	Suitability of land proposed for CA should be reassessed and CA Scheme should be revised, if required.	उक्त बिन्दु के संबंध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अमानत बराज से कैनाल निर्माण में अपयोजित वन भूमि 127.85 हे0 के लिए उपयुक्त भूमि का ग्राहय प्रमाण पत्र (Suitability Certificate) जो वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल द्वारा दिया गया है एवं उसके साथ स्थल विशिष्ट क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संगत प्राक्कलन भी पाँच प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।
2	Status of the Environment Clearance under EPA, 1986 of the project may be ascertained.	उक्त परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए कार्यपालक अभियंता से वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल द्वारा अनुरोध किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरणीय clearance प्राप्त होने के पश्चात् उसे समर्पित किया जायेगा।

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं के अनुपालन के क्रम में Suitability Certificate स्थल विशिष्ट प्राक्कलन पत्र के साथ दो प्रति में संलग्न प्रेषित है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन
02/01/17
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

D:\SUNIL\Proposal (A)\Amanat Project\Kainal Nirman (127.85 ha.), 17.08.16

MOMENTUM JHARKHAND
The investment destination

पत्र संख्या–वन भूमि–07 / 2016– 07 व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय राँची, बंगला नं0–A-2, श्यामली कॉलोनी,
राँची–834002

राँची, दिनांक –02/01/2017

विषयः– मेदिनीनगर वन प्रमंडल अंतर्गत अमानत बराज से कैनाल निर्माण हेतु कुल–127.85 हे0 वन भूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–FP/JH/IRRIG/15780/2015/935 दिनांक–14.12.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा की गई पृच्छा के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–06 दिनांक–02.01.2017 द्वारा प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन सभी अनुलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि विषयगत परियोजना में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

2/1/17

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

E/16-वनभूमि LETTER-165 (Mukesh)